



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004

HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/10

दिनांक: 24.04.2023

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 100/2023

विषय:- Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2023 to those Railway employees who continue to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. PC-VI/2008/I/7/2/1 दिनांक: 20.04.2023, RBE No.58/2023, S.No.PC-VI/409 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	PC-VI/2008/I/7/2/1 dt.01.11.2022, RBE No.141/2022	299/2022
2.	PC-VI/2008/I/7/2/1 dt.09.09.2008, RBE No.106/2008	157/2008

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

(संग्राम सोरेन)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VI/409
सं. पीसी-VI/2008/आई/7/2/1

आरबीई सं. 58/2023
नई दिल्ली, दिनांक: 10.04.2023

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)।

विषय: छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड पे में अपना वेतन ले रहे रेल कर्मचारियों के लिए 01.01.2023 से लागू महंगाई भत्ते की दरें

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 01.11.2022 के समसंख्यक पत्र (पीसी-VI/408, आरबीई सं. 141/2022) का अवलोकन करें जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड पे में अपना वेतन ले रहे रेल कर्मचारियों के संबंध में 01.07.2022 से महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के बारे में है।

- उक्त कोटि के रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर को 01.01.2023 से 212% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 221% किया जाता है।
- इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय इस मंत्रालय के दिनांक 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्र.सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं.106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को लागू रखा जाएगा।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(प्राधिकार- वित्त मंत्रालय के दिनांक 10.04.2023 का का.जा. सं.1/3(1)/2008-ई.11(बी)).


(जय कुमार जी)

उपनिदेशक, वेतन आयोग-VII एवं एचआरएमएस
रेलवे बोर्ड

ई-मेल: jaya.kumarg@gov.in

दूरभाष स. 011-47845125

सं. पीसी-VI/2008/आई/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 10.04.2023

प्रतिलिपि भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।



कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

S. No. PC-VI/409

RBE No. 58/2023

No. PC-VI/2008/I/7/2/1

New Delhi, dated 20.04.2023


The GMs/CAOs(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

Sub: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2023 to those Railway employees who continue to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 01.11.2022 (PC-VI/408, RBE No.141/2022) revising the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2022 in respect of railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to railway employees of above category is hereby enhanced from the existing rate of 212% to 221% w.e.f. 01.01.2023.
3. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Authority- MoF's OM No.1/3(1)/2008-E.II(B) dated 10.04.2023)



(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII & HRMS
Railway Board
Email id: jaya.kumarg@gov.in
Tele No. 011-47845125

No. PC-VI/2008/I/7/2/1

New Delhi, dated 20.04.2023

Copy to the Deputy Controller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).



For Member (Finance), Railway Board